

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

रॉची,
दिनांक :- 1-8-14

अधि.सं.-02/स्था.(विविध)-07-06/2014.....2354...../श्री सुगेन्द्र कुमार सिंह (ID-3267)
तकनीकी सलाहकार (चालू प्रभार), औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-74 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

2. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय माननीया मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।
3. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

2354

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा रॉची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

2354

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीया विभागीय मंत्री (जल संसाधन) के आप्त सचिव (दो प्रतियाँ में)/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)/ सचिव (प्रावै.), मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ श्री सुगेन्द्र कुमार सिंह, तकनीकी सलाहकार (चालू प्रभार), औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/ब, 7/यो., एवं 08ए, 08बी एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)